न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 235/2010 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. चौखा पुत्र श्री लालू, जाति भील, निवासी ग्राम बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के विधिक वारिसान :–

1/1. कमजी पिता स्वर्गीय चौखा, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. शंकर पिता स्वर्गीय चौखा, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. नारायण पिता स्वर्गीय चौखा, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/4. अर्जुन पिता स्वर्गीय चौखा, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/5. जोदा पिता स्वर्गीय चौखा, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/6. श्रीमती बदू पत्नी स्वर्गीय चौखा, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. चेतनलाल पुत्र श्री लालू, जाति भील, निवासी ग्राम बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के विधिक वारिसान :–

2/1. कचरू पिता स्वर्गीय चेतनलाल, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/2. राजु पिता स्वर्गीय चेतनलाल, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2/3. श्रीमती गोकल पत्नी स्वर्गीय चेतनलाल, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जालमा पुत्र श्री हूमा, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. गलबा पुत्र श्री हूमा, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. चम्पा पुत्र श्री हूमा, जाति भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (मृतक) के विधिक वारिसान :–

3/1. श्रीमती कमला बेवा स्वर्गीय चम्पा भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/2. रमेश पुत्र स्वर्गीय चम्पा भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/3. कांति पुत्र स्वर्गीय चम्पा भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/4. हुरमा पुत्र स्वर्गीय चम्पा भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/5. नटिया पुत्र स्वर्गीय चम्पा भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/6. शारदा पुत्री स्वर्गीय चम्पा भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

3/7. जिन्ता पुत्री स्वर्गीय चम्पा भील, निवासी गांव बोरदा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
दिनांक 25–08–2010 प्र.सं. 11/02

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री हीरालाल जैन अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

———::———

निर्णय दिनांक 21–02–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 125, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 7 रकबा 1.04 हैक्टर भूमि ग्राम

बोरदा में स्थित है, जिसे वादीगण अपने पिता के समय से कमा रहे हैं एवं वर्तमान में भी वादीगण का कब्जा है। इन भूमियों में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। भूमियों के साबिक व हाल आराजी नंबरों का विवरण वादपत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। साबिक आराजी नंबर 1045 व 1056 वादीगण के पिता लालू पिता कानिया के नाम दर्ज था जो लालू की मृत्यु के बाद वादीगण के नाम खाता संख्या 52 से दर्ज हुआ, शेष आराजी नंबर 2075, 2091, 2092, 2112, 2113, 2118, 2115/4423 कुल किता 7 रकबा 1.04 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खाता संख्या 68 में दर्ज कर दिया गया, जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। प्रतिवादीगण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी बांसवाड़ा के प्रकरण संख्या 157/92 में बिना दिनांक का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, शपथ पत्र अमीन द्वारा तैयार करवाया जिस पर दो अंगूठा निशानी करवायी गयी, जबकि वादी संख्या 1 हस्ताक्षर करता है एवं उक्त पत्रावली में जो चोखा व चेतन के बयान लिये गये हैं वह भी गलत हैं। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी वादीगण के पिता लालू के खाते में किसी अन्य खातेदार का नाम जोड़ने को सक्षम नहीं हैं। अतएवं विवादित आराजीयात कुल किता रकबा 1.04 हैक्टर से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कुल किता 7 रकबा 1.04 हैक्टर पर प्रतिवादीगण का कब्जा अपने पिता के समय से चला आ रहा है। वादीगण की सहमति से सेटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज किये गये हैं। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के उक्त निर्णय की कोई अपील वादीगण द्वारा नहीं की गयी है तथा सन 1992 के करीब बाद 10 वर्षो बाद यह झूठा वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 7 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी के खातेदारी व स्वामित्व व कब्जे काश्त के वाद चरण संख्या 1 व 3 में बताये गये सर्वे नंबर कुल खेत 7 कुल रकबा 1.04 हैक्टर वाके ग्राम बोरदा जो प्रतिवादी नंबर 1 से 3 के नाम अवैधानिक दर्ज किये गये हैं ? ..... वादी

2. आया वादी उक्त खेत को अपने नाम खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है ?.... वादी

3. आया भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय व आदेश दिनांक 28–08–1992 अवैधानिक है एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी को इस प्रकार खाते में नाम इन्द्राज करने के अधिकार नहीं हैं ? ..... वादी

4. आया प्रतिवादीगण उक्त खेतों में बहैसियत खातेदार कृषक होकर काबिज होने से प्रतिवादीगण को बेदखल करने व अन्य अनुतोष का दावा नहीं होने से केवल घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है ? ..... प्रतिवादी

5. आया भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा किया गया आदेश दिनांक 28–08–1992 को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर व्यवहार न्यायालय को है ? ..... प्रतिवादी

6. आया वादीगण द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के न्यायालय में बयान सशपथ देकर प्रतिवादी के नाम उक्त खेत दर्ज कराने के कारण प्रिंसिपल ऑफ स्टोपल के अनुसार भी वादीगण को इस प्रकार मुकरने का अधिकार नहीं है ? ..... प्रतिवादी

7. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 25–08–2010 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–10–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कामय मुकाम का आवेदन स्वीकार किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की मृत्यु हो जाने से उनके कायम मुकाम का आवेदन भी स्वीकार किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के कायम मुकाम 3/1 से 3/7 की ओर से वकील श्री हीरालाल जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, जो कि बिना दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन किये बिना पारित किया गया है। तनकी नंबर 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके लिए वादीगण ने कई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये तथा बयानों से भी साबित होता है कि पूर्व में उक्त भूमि वादीगण के पिता लालू जी के नाम दर्ज थी तथा बाद में वादीगण के नाम दर्ज हुई। रेस्पोन्डेन्टगण का उक्त भूमियों में कोई हक व अधिकार नहीं है तथा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी को इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 जो कि वादीगण के भार सिद्ध थी, जिसमें यह सिद्ध करना था कि वर्तमान में भी प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं है, जिसे वादीगण ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय का उक्त तनकी कर निर्णय विधि विरूद्ध कर दिया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 3 का निर्णय भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध किया है तथा तनकी नंबर 4 का निर्णय भी प्रतिवादीगण के पक्ष में करने में त्रुटि की है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1994 पेज 204, आर.आर.डी. 1996 पेज 457 व आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 31 पेश की, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–प्रबन्ध विभाग को सिर्फ तीन परिस्थितियों विक्रय, विरासत अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश पर ही खातेदारी अधिकारों में इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार होता है। प्रकरण में भले से ही सहमति हो, परन्तु सहमति के आधार पर खातेदारी अधिकारों का सृजन नहीं होता है, खातेदारी अधिकार सिर्फ विधि के प्रवाह में ही तय हो सकते हैं, तद्नुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश की विधिकता प्रथम दृष्टया

विचारणीय है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग के आदेश को मान्यता जो दी है, जिसे हम औचित्य पूर्ण नहीं पाते हैं। प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण का नाम भू–प्रबन्ध कार्यवाही से ही प्रविष्ट हुआ है, उसकी विधिकता पर विवेचन किये बिना अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण के पूर्वज अथवा वादीगण की सहमति मानकर प्रकरण में निर्णय कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया ही भू–प्रबन्ध विभाग की अधिकारिता, सक्षमता एवं आदेशों की विधिकता का विवेचन किये बिना पारित किया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–08–2010 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए भू–प्रबन्ध विभाग के आदेश की सक्षमता पर पूर्ण विवेचन कर तथा उभयपक्षों को पुनः साक्ष्य सबूत का अवसर देकर एवं सुनकर विधि के आलोक में पुनः निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–04–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मोडीराम के बजाय श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी स्व. मोडीराम ब्राहमण, निवासी गनोड़ा, तह.घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **धुलजी पिता स्व.रतनजी ब्राहमण, निवासी गनोड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**20 / 2014**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**घाटोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....23**.....माह.....**04**.....**2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**07**....माह.....**02**.....सन् **2018** रूबरू....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री हीरालाल जैन** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**... श्री यशपाल गुप्ता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–04–2014 यथावत रखी जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**07**.....माह.....**02**.....**2018**
को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।